152

संख्या- 1261/15-9-08-25141/2008

प्रेषक,

अरुण कुमार मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0),
उ0प्र0 इलाहाबाद/लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग, लखनऊ: दिनांक: 21 नवम्बर, 2008

विषय: प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु अर्ह मतदाताओं के सम्बन्ध में नवीन व्यवस्था का प्रतिपादन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-सामान्य(1) शिविर/9343/2008-09 दिनांक 16.9.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के प्रशासन योजना के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु अर्ह मतदाताओं के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निम्नानुसार व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ए के अन्तर्गत नयी शैक्षिक संस्थाओं की प्रशासन योजना की स्वीकृति के संदर्भ में यह व्यवस्था की जाय कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत मातृ संस्था/साधारण सभा/ट्रस्ट के सदस्य ही विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में सदस्य के रूप में मतदाता होंगे और प्रशासन योजना में साधारण सभा के सदस्यों और ट्रस्टी को बनाये जाने का प्राविधान नहीं रखा जाय।

2- इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ए के जो प्रशासन योजना पूर्व में अनुमोदित हो चुकी हो, उनमें यदि उपर्युक्त (क्रमांक-1) की व्यवस्था से भिन्न व्यवस्था विद्यमान है तो ऐसी संस्था द्वारा प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के साथ आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निम्नवत् प्राविधान प्रदान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाय :-

"प्रशासन योजना में यह व्यवस्था की जाय कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत मातृ संस्था/साधारण सभा/ट्रस्ट के सदस्य ही विद्यालय की प्रबन्ध समिति के निर्वाचन में सदस्य के रूप में मतदाता होंगे।"

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(अरुण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव।

24-11-08

26-11-08